(वाद संख्या–2170/17)

25.07.2019

परिवादी दिलबहार सिंह, सेवानिवृत्त वरीय सहायक प्रबंधक, बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम, भागलपुर उपस्थित है।

प्रस्तुत मामला परिवादी के दिनांक 31.01.2012 को सेवानिवृत्ति के उपरान्त उनके उपादान की राशि एवं अव्यवहृत अवकाश के बदले मिलने वाली राशि के भुगतान से संबंधित है।

यह बड़े ही चिन्तास्पद बात है कि सेवानिवृत्ति के 7 वर्ष बीत जाने के बाद भी परिवादी को अब तक उसके सेवांत लाभों का भुगतान उपरोक्त कथित निगम द्वारा नहीं किया गया है।

उपरोक्त आशय के परिवादी के परिवाद पत्र पर आयोग द्वारा प्रतिवेदन देने हेतु प्रधान सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को नोटिस निर्गत किया गया साथ ही साथ उन्हें इस निमित कई वार स्मारित भी किया गया लेकिन उनके द्वारा आयोग के निर्देश की लगातार अवहेलना करते हुए वांछित प्रतिवेदन समर्पित नहीं किया जा रहा है।

कार्यालय परिवादी के परिवाद पत्र (पृष्ठ 07–1/प0) की छायाप्रति संलग्न कर, आज पारित आदेश की प्रति के साथ, प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम, पटना को इस निर्देश के साथ दिनांक 09.09.2019 के पूर्व उपरोक्त विषयक प्रतिवेदन आयोग को समर्पित करने हेतु पत्र निर्गत करते हुए उपरोक्त कथित सभी अनुलग्नकों के साथ मुख्य सचिव, बिहार, पटना एवं प्रधान सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को इसकी प्रतिलिपि देते हुए प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम, पटना को यह भी सूचित कर दिया जाय की अगर अगली निश्चित तिथि को उपरोक्त वांछित प्रतिवेदन आयोग को समर्पित नहीं किया जाता है तो आयोग को भारतीय दण्ड संहिता 176 के अन्तर्गत कारित अपराध के लिये नियमानुसार कार्रवाई प्रारम्भ करने हेतु बाध्य हो जाना पड़ेगा।

परिवादी के उपस्थिति में आज आदेश पारित किया गया है। अतः अगली निश्चित तिथि के संबंध में परिवादी को नोटिस देने की आवश्यकता नहीं है।

संचिका दिनांक 09.09.2019 को उपस्थापित की जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
कार्यकारी अध्यक्ष